

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए पात्रता/दिशा निर्देश

क्र.सं.	पद नाम	पद हेतु धारित योग्यता
1	प्रधानाचार्य	राजकीय सी.सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य।
2	व्याख्याता	सम्बन्धित विषय में व्याख्याता
3	वरि.अध्यापक ग्रेड-1A	संबंधित विषय में वरिष्ठ अध्यापक
4	अध्यापक ले-2	अध्यापक लेवल-2 के पद पर कार्यरत
5	शारीरिक शिक्षक-11	राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक।
6	पुस्तकालयाध्यक्ष-111	पुस्तकालयाध्यक्ष मूल पद पर कार्यरत
7	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक मूल पद पर कार्यरत
8	प्रयोगशाला सेवक	प्रयोगशाला सेवक मूल पद पर कार्यरत

दिशा निर्देश:-

1. प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र साफ अक्षरों में भर कर समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति सहित स्वयं द्वारा सत्यापित संलग्न कर दिनांक 30.06.2022 तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर में डाक/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः जमा करा सकते हैं।
3. आवेदक द्वारा शिक्षा विभाग में दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है।
4. एक प्रतिनियुक्ति से दूसरी प्रतिनियुक्ति में एक वर्ष का अन्तराल पूर्ण होना आवश्यक है। पूर्ण सेवा अवधि में 10 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति अवधि वाले कार्मिक आवेदन के लिए अपात्र होंगे।
5. अभ्यार्थी अपने मूल पद/विषय पर ही आवेदन करे। पद विरुद्ध आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
6. आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति चार वर्ष के लिए की जायेगी।
7. बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला कार्मिक को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों को नियमानुसार विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
9. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान (सेवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व) किसी विशेष परिस्थिति में कार्मिक द्वारा कार्यभार से मुक्त होने के आवेदन करने पर अथवा सेवा में अंसतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में कार्मिक को मूल जिले (पूर्व जिला) के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा) को पदस्थापन हेतु निर्देशित किया जायेगा।
10. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों को राईस द्वारा पारित समस्त निर्देशों एवं अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
11. आवेदन कर्ता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/उपरिस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।

12. कार्मिक के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिए।
13. विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित रिक्त पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
14. विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित होंगे।
15. चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
16. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है।
17. समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव, राईस को होगा।
18. विभाग को प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी कर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कार्मिकों का चयन कर सूची प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग को प्रेषित की जायेगी।
19. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति कि जायेगी अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा:-

10 th (A*)	12 th (A*)	U.G. (A*) B.A. B.Com B.Sc	P.G. (A*)	B.Ed (A*)	Ph. D /M.Phil degree (B*)	सेवा के दौरान अकादमिक सामाजिक सांस्कृतिक अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्रमाण प्रपत्र (C*)	आवासीय विद्यालय में अनुभव (D*)	कुल अंक
10	10	10	10	10	20	20	10	100

(A*) शैक्षणिक योग्यता के लिए 10 th , 12 th , UG/PG, B.Ed के लिए निर्धारित अंक	(B*) Ph. D / M.Phil degree	(C*) सेवा के दौरान अकादमिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में प्रशंसा पत्र, सम्मान प्राप्त करने पर निर्धारित अंक	आवासीय विद्यालय में अनुभव (D*)
1. प्रथम श्रेणी - 10 अंक 2. द्वितीय श्रेणी - 9 अंक 3. तृतीय श्रेणी - 8 अंक	Ph. d-20 अंक M.Phil-10 अंक	1. राष्ट्रीय स्तर - 20 अंक 2. राज्य स्तर - 15 अंक 3. जिला स्तर - 10 अंक	1. 2 से तीन वर्ष या अधिक - 10 अंक 2. 1 से 2 वर्ष - 5 अंक 3. 0 से 1 वर्ष - 3 अंक

20. विस्तृत जानकारी हेतु फोन नं. 0141-2226666 पर कार्य दिवस को प्रातः 9:30 से सांयकाल 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर

आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

रजि.नं. (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम
प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित पद
विषय

Recent
Photo
paste here

1. कार्मिक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. मूल पद एवं विषय
4. जन्म तिथि
5. गृह जिला
6. एम्प्लॉय आई. डी.
7. पे लेवल
8. आवेदक का वर्तमान पता
9. शिक्षा निदेशालय का नाम यथा -माध्यमिक/प्रारंभिक
10. प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं स्थान
11. वर्तमान पदस्थापन स्थान
12. वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक
13. कुल सेवा अवधि
14. कुल सेवा अवधि में प्रतिनियुक्ति कार्यकाल/वर्ष (यदि हो तो)
15. अध्यापक लेवल-2 की प्रतिबंधित जिले में नियुक्ति दिनांक एवं जिले का नाम
16. मोबाईल नं. (1) (2)
17. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.स.	परीक्षा का नाम	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी	संलग्नक संख्या
1	सैकण्डरी/समकक्ष			
2	हायर/सीनियर सैकण्डरी			
3	स्नातक			
4	स्नातकोत्तर			
5	बी.एड.			

18. अन्य अकादमिक योग्यता:-

क्र.स.	अकादमिक योग्यता का नाम	विश्व विद्यालय जहां से डिग्री प्राप्त की है	सलग्नक संख्या
1	Ph. D degree		
2	M.Phil degree		

19. अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता:-

स्तर	अकादमिक	सामाजिक	सांस्कृतिक व अन्य	सलग्नक संख्या
राष्ट्रीय				
राज्य				
जिला				

20. आवासीय विद्यालय में अनुभव (यदि हो तो):-

क्र.स.	पद	पे लेवल	पदस्थापित आवासीय विद्यालय	अवधि		सलग्नक संख्या
				कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई समस्त सूचना/जानकारी सही है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में कोई असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :-

कार्मिक के हस्ताक्षर

नाम

पद

पदस्थापित स्थान.....

वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पदपदस्थापन स्थान

की प्रतिनियुक्ति आवासीय विद्यालय में की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
मय सील

